[2021] 9 एस.सी.आर. 451

मोहन @श्रीनिवास @सीना @टेलरसीना

बनाम

कर्नाटक राज्य

(2014 की आपराधिक अपील संख्या 1420)

13 दिसंबर 2021

[संजय किशन कौल और एम. एम. सुंदरेश, न्यायाधिपतिगण] अपील

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – एसएस.378, 384 पुलिस अधिकारी की हत्या – अपीलकर्ताओं को बरी कर दिया गया, संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया, उच्च न्यायालय की अपील द्वारा बरी कर दिया गया। आयोजित: अधिकांश गवाह मुकर गए – पीडब्लू1–सूबा पुलिस इंस्पेक्टर, अभियोजन पक्ष का सबसे बड़ा गवाह, उस आरोपी के खिलाफ कुल्हाड़ी चलाने वाला था जिसने उसके खिलाफ शिकायत दी थी – कई उसके – यह बहुत अजीब है कि उसे मौका दिया जा सकता है गवाह डीपीडब्लू–1 और पीडब्लू–2– ड्यूटी कांस्टेबल के बयानों में विरोधाभास कथित घटना शाम करीब 5 बजे की बताई गई है। भारी यातायात वाली व्यस्त सड़क पर, हालांकि, पीडब्लू–1 और पीडब्लू–2 के सबूतों को छोड़कर, अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किया गया कोई अन्य सबूत नहीं था – मकसद के आधार पर, मृतक की हत्या के इरादे से आरोपी को फंसाने के लिए कुछ भी नहीं था – उच्च कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए तर्कसंगत निर्णय को उलटने के लिए धारा 378 आर/डब्ल्यूधारा 384 के तहत अनिवार्य कार्रवाई नहीं की – दंडसंहिता, 1860 – एसएस 302, 506–बी, 120 बी, 34– दंडप्रक्रियासंहिता, 1973–एसएस.378, 384 – का दायरा चर्चा की।

<u>न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए</u>

माना:

1.1 सीआरपीसी की धारा 378 राज्य को बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ अपील करने में सक्षम बनाती है। सीआरपीसी की धारा 384 उन शक्तियों की बात करती है जिनका प्रयोग अपीली यन्यायालय द्वारा किया जा सकता है। जब ट्रायल कोर्ट आरोपी को बरी करके अपना निर्णय सुनाता है तो पीलीय जी कोर्ट के समक्ष निर्दोषता का अनुमान मजबूत हो जाता है ।परिणामस्वरूप, अभियोजन पक्ष पर जिम्मेदारी अधिक बोझिल हो जाती है क्योंकि इसमें निर्दोषता की दोहरी धारणा होती है ।निश्चित रूप से, प्रथम दृष्टया अदालत के पास अपना फैसला सुनाने के अपने फायदे हैं, जिसमें गवाहों को व्यक्तिगत रूप से देखना शामिल है थोड़ी देर बाद वे पदच्युत हो जाते हैं। अपीलीय न्यायालय के शामिल होने की उम्मीद हैन केवल अपने सामने मौजूद सबूतों की गहन, अध्ययनित जांच में, बल्कि खुद को संतुष्ट करने के लिए बाध्य है कि क्या ट्रायल कोर्ट का निर्णय संभव और प्रशंसनीय दोनों है। जब दो दृष्टिकोण संभव होते हैं, तो बरी करने के मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को गवाहों को देखने के बी लाभ के साथ-साथ स्वतंत्रता की कसौटी पर अपनाया जाना चाहिए। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 भी आरोपी को बरी होने के बाद एक निश्चित तरीके से सहायता करता है, हालांकि पूर्ण नहीं। अपीलीय न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि वह कोई भी टिप्पणी करने से पहले कुछ हद तक सावधानी बरतें। [पैरा 20,22][460-बी-ई; 461-ए]

1.2 ट्रायल कोर्ट ने दूसरे की गवाही पर विचार कियाचश्मदीद गवाहों और भौतिक गवाहों पर काम शुरू करने से पहले सबसे पहले गवाह बनें। यह अपने अंतिम निष्कर्ष के लिए विस्तृत तर्क देता है। अधिकांश गवाह मुकर गए। पीडब्लू-16, एक स्वतंत्र गवाह का यह भी कहना है कि उसने डी घटना नहीं देखी है और उसने सुना है कि मृतक अस्पताल ले जाने से पहले मर चुका था। ट्रायल कोर्ट को एक-एक करके सभी गवाहों के साक्ष्यों पर विचार करने में भारी कष्ट उठाना पड़ा। जूते की दुकान के मालिक पीडब्लू-7 के साक्ष्य पर विचार करने पर, यह इसे अस्वीकार करने के लिए अपना ठोस तर्क देता है। पिछले बिल और संबंधित बिल के बीच लगभग 8 महीने का अंतर था और इस गवाह ने यह नहीं देखा कि एम.ओ. अंकित चप्पलें किसने खरीदी हैं। उसकी दुकान से 8 रु. इसी तरह, पीडब्लू-20 जो एसटीडी बूथ चला रहा था, ट्रायल कोर्ट को आश्वस्त नहीं कर सका क्योंकि वह यह नहीं कह सका कि आरोपी ने उसके बूथ से कॉल की थी। मकसद के आधार पर, यह सही ढंग से विश्लेषण किया गया कि मृतक की हत्या के इरादे से आरोपी को फंसाने में कोई बात नहीं थी। पीडब्लू-1 अभियोजन पक्ष का सबसे बड़ा गवाह था। निश्चित रूप से, उसके पास उस आरोपी के खिलाफ कुल्हाड़ी थी जिसने उसके खिलाफ शिकायत दी थी। उन पर विभागीय जांच और निलंबन का सामना करना पड़ रहा था. यह बहुत अजीब है कि वह एक आकस्मिक गवाह हो सकता है। उसका सबूतट्रायल कोर्ट द्वारा उसके कार्यस्थल और उसके निवास के बीच की दूरी G सहित गहन विश्लेषण किया गया था। उन्होंने अपने वायरलेस का उपयोग नहीं किया जो चालू नहीं था और पहली बार मौखिक शिकायत देने के लिए पुलिस स्टेशन गए लेकिन इसे दर्ज नहीं किया गया। पीडब्लू-25 को वह जानता था और यह आश्चर्य की बात हैसामान्य मानवीय आचरण के तहत मृतक को तत्काल 50 मीटर दूर स्थित नर्सिंग होम में ले जाकर बचाने का प्रयास क्यों नहीं किया गया। पीडब्लू–1 और पीडब्लू–2 के बयानों में कई विरोधाभास हैं. यह भी आश्चर्य की बात है कि दूसरा मौका गवाह 'आर', जो एक बार फिर मृतक के परिवार का परिचित व्यक्ति था, उस स्थान पर कैसे आया। हालाँकि पीडब्लू–1 ने उसके खिलाफ शिकायत से इनकार किया, लेकिन उसने स्वीकार किया कि वह निलंबित था। पीडब्लू–2 की तुलना में पीडब्लू–1 पर मृतक का कोई खून का धब्बा नहीं था और उसका मिलान भी नहीं किया गया था। पीडब्लू–1 के साथ पीडब्लू–2 को भी देखा गया। वह एक और चश्मदीद गवाह था. वह ड्यूटी कांस्टेबल था. ट्रायल कोर्ट ने उनकी उपस्थिति पर भी संदेह किया। एक बार फिर इस गवाह ने भी चौधरी को कोई शिकायत नहीं दी है. यह अदालत एक ऐसे पुलिस अधिकारी की गवाही पर विचार कर रही है, जिससे अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कर्तव्य को जाने। जबकि पीडब्लू–2 ने कोई शिकायत नहीं की बल्कि अपना कर्तव्य निभाया, पीडब्लू–1 उसके बाद अपनी ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हुआ या उस पुलिस स्टेशन को सूचित नहीं किया जिसमें वह तैनात था। हालाँकि, पीडब्लू–2 ने कहा है कि आरोपी ने कोई भौतिक वस्तु फेंककर उस पर हमला करने का प्रयास किया, यहाँ तक कि उच्च न्यायालय ने भी इस पर विश्वास नहीं किया। जैसा कि पुनर्प्राप्ति ज्ञापन से देखा जा सकता है, उक्त भौतिक वस्तु किसी अन्य स्थान से बरामद की गई थी, इस तथ्य के बावजूद कि यह किसी का मामला नहीं था कि आरोपियों ने पीछा करते समय उसे पुनः प्राप्त किया और अपने पास रखा। [पैरा 24–27][465–जी–एच; 466–ए–एच; 467–ए–बी]

1.3 पीडब्लू–25 वह डॉक्टर है जो पीडब्लू–1 को अच्छी तरह से जानता है। जबकि पीडब्लू–1 ने गवाही दी कि वह वास्तव में मृतक के साथ नहीं गया था, पीडब्लू–25 ने बयान दिया कि पुलिस और जनता दोनों ने मृतक को स्वीकार किया। इस गवाह ने स्वीकार किया कि पूर्व प्रदर्शन। पी–41 ने उल्लेख किया कि मृतक को पीडब्लू–1 एफ और रमेश द्वारा लाया गया था। पीडब्लू–1 और पीडब्लू–2 दोनों ने इस बारे में कोई बात नहीं की. उन्होंने यह भी कहा था कि उन्हें नहीं पता कि पूर्व की सामग्री क्या है। पी–41 सही है या नहीं। उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया कि वह पीडब्लू–1 और उसके परिवार को अच्छी तरह से जानते थे। पीडब्लू–25 के साक्ष्यों को पढ़ने पर उसमें मृत्यु पूर्व कथन का कोई अस्तित्व नहीं पाया गया। उन्होंने जी से कहा था कि उन्हें याद नहीं है कि मृतक ने उन्हें बताया था कि आरोपियों ने उस पर हमला किया और

चोटें पहुंचाईं। यह उनकी आगे की गवाही है कि उन्होंने एक्स दिया था। पुलिस की जिद के कारण पी–41. उसे याद नहीं कि पुलिसउनसे एक्स के तहत आरोपी का नाम बताने को कहा। पी-41. प्रदर्शन पी-38, पीडब्लू-25 द्वारा रखी गई केस शीट हालांकि आरोपी के बारे में उल्लेख करती है, लेकिन इसमें मृतक द्वारा आरोपी के बारे में दिए गए किसी भी बयान के बारे में बात नहीं की गई है। यह न्यायालय पीडब्लू-25 के साक्ष्य को स्वीकार न करने के ट्रायल कोर्ट के तर्क से सहमत है। [पैरा 28-30][267-बी-एफ]

1.4 बचाव पक्ष ने एक गवाह से भी पूछताछ की। यह साक्षी एक सरकारी डॉक्टर है जो सर्जरी के क्षेत्र में विशेषज्ञ है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि चोट लगने के बाद मृतक के लिए होश में रहना असंभव होगा, जैसा कि एक्ज़िबिट पी-38 में बताया गया है, यानी कि आंतें बाहर आ रही हैं। ट्रायल कोर्ट ने इस सबूत पर सही ढंग से विचार किया। उच्च न्यायालय ने केवल अनुमान के आधार पर दोषसिद्धि प्रदान कर दी, भले ही एक अनुमान कभी भी दोषसिद्धि का आधार नहीं हो सकता जब किसी गवाह की गवाही पर ठोस तर्क पर विश्वास नहीं किया जाता है। यह भी ज्ञात नहीं है कि उच्च न्यायालय जांच अधिकारी को क्या निष्कर्ष दे सकता हैअदालत के समक्ष गवाही के विरुद्ध गवाह द्वारा दिए गए सीआरपीसी की धारा 161 के बयान के बीच विरोधाभास के कारण आरोपी का समर्थन कर रहा था। कथित घटना शाम करीब पांच बजे की बतायी जा रही है. भारी यातायात वाली व्यस्त सड़क पर और यहां तक कि पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 के साक्ष्य से पता चलता है कि वहां लगभग 1000 व्यक्ति थे। पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 के सबूतों को छोड़कर, अभियोजन पक्ष द्वारा कोई अन्य सबूत पर भरोसा नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए तर्कसंगत निर्णय को पलटने के लिए सीआरपीसी की धारा 384 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 378 के तहत अनिवार्य कार्रवाई नहीं की। दोषसिद्धि के आदेशएफ [467-एफ-जी; 468-बी-ई]

अनवर अली और अन्य. बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (2020) 10 एससीसी 166 – पर निर्भर।

जयम्मा और अन्य. बनाम कर्नाटक राज्य (2021) 6 एससीसी 213; पपराम्बका रोसम्मा और अन्य। बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1999) 7 एससीसी 695: [1999] 2 पूरक। एससीआर 328; सुरिंदर कुमार बनाम हरियाणा राज्य (2011) 10 एससीसी 173: [2011] 12 एससीआर 1205; चंद्रप्पा बनाम कर्नाटक राज्य (2007) 4 एससीसी 415: [2007] 2 एससीआर 630; राजेंद्र प्रसाद बनाम बिहार राज्य (1977) 2 एससीसी 205 [1977] 3 एससीआर 68; पद्मनाभन विजयकुमार बनाम केरल राज्य(1994) सप्प. 2 एससीसी 156: अमर सिंह बनाम एनसीटी दिल्ली राज्य (2020) एससीसी ऑनलाइन एससी 826: नरवाना रेड्डवा उर्फ बाबू बनाम कर्नाटक राज्य (2016) 14 एससीसी 212: ए शंकर बनाम कर्नाटक राज्य (2011) 6 एससीसी 279 : 12011] 6 एससीआर 999: सेल्वराज बनाम तमिलनाडु राज्य (1976) 4 एससीसी 343; प्रदीप नारायण मडगांवकर बनाम महाराष्ट्र राज्य (1995) 4 एससीसी 255 – संदर्भितकेस कानून संदर्भ

[1999] 2 पूरक। एससीआर 328–पैरा 18

[2011] 12 एससीआर 12051–पैरा 18

[2007] 2 एससीआर 630–पैरा 18

[1977] 3 एससीआर 68– पैरा 18

[2011] 6 एससीआर 999– पैरा 18

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील 2014 की संख्या 1420.

कर्नाटक उच्च न्यायालय, बैंगलोर के सीआरएल में दिनांक 29.05.2013 के निर्णय और आदेश से। 2008 का ए. नं. 460.साथ 2018 की आपराधिक अपील संख्या 759..

शेखर जी देवासा, मनीष तिवारी, शशि भूषण नागर के लिए

मेसर्स देवासा एंड कंपनी, सलाहकार। अपीलकर्ता के लिए.

शुभ्रांशु पाढ़ी, आशीष यादव, रक्षित जैन, विशाल बंशल, वी. एन. रघुपति, मोहम्मद अपज़ल अंसारी, सलाहकार। प्रतिवादी के लिए.

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

एम. एम. सुंदरेश, न्यायाधीश

1. एक पुलिस अधिकारी की हत्या के आरोपी दो युवकों को बरी करने के सत्र न्यायालय के एक सुयोग्य फैसले को उच्च न्यायालय ने पलट दिया और उन्हें आजीवन कारावास की सजासुनाई। खुद को आज़ाद कराने की कोशिश में ये अपीलें हमारे सामने हैं।
2. हमने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुना है, दस्तावेजों का अध्ययन किया है और लिखित दलीलें भरी हैं। संयोग से हमने ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड मंगवाए और उनका अध्ययन किया।

तथ्य:

3. पीडब्लू–4 और पीडब्लू–5 भाई हैं। मृतक उक्त दोनों गवाहों का मामा था। उन्होंने ए–1 की मां पर हमला किया, जिसके बाद पुलिस उप–निरीक्षक पीडब्लू–1 को शिकायत दी गई।
4. प्रथम सूचना रिपोर्ट. पीडब्लू–1 के हाथों अपराध के आधार पर बी के पंजीकरण से संतुष्ट नहीं होने पर ए–1 द्वारा लोकायुक्त के समक्ष शिकायत दी गई थी। संयोग से, पीडब्लू–1 को निलंबित कर दिया गया था। उन पर अन्य आरोप भी लगे थे. गवाही देते समय भी यह प्रचलन में था।
5. उपरोक्त उद्देश्य से, दोनों आरोपियों ने तीन हथियार लेकर मृतक को लगभग अपराह्न् बजे मुख्य सड़क पर एक सिग्नल पर रोक दिया। और शुरुआती हमले के बाद, उसे फुटपाथ पर खींच लिया और उसके बाद कई चोटें पहुंचाईं। आरोपी और मृतक दोनों दोपहिया वाहनों पर यात्रा कर रहे थे। पीडब्लू–1, जो थोड़ी दूर पर एक पुलिस स्टेशन में कार्यरत था, दोपहर का भोजन करके अपने घर से आ रहा था। वहएक मौका गवाह था. उन्होंने घटना को काफी दूर से देखा। वह मृतक का परिचित था। मृतक की आंत बाहर निकली हुई थी। डी मृतक ने उसे आरोपी को फंसाने वाली कहानी बताई। पीडब्लू–1 से पहले, पीडब्लू–2 घटनास्थल पर मौजूद था। वह एक पुलिस हेड कांस्टेबल भी थे। पीडब्लू–1 और पीडब्लू–2 दोनों यातायात विभाग में कार्यरत हैं। उन्होंने मृतक द्वारा दिया गया बयान सुना, क्योंकि आरोपियों में से एक ने पीडब्लू–2 पर एक हथियार फेंका था, जिसकी बरामदगी बाद में एक अलग खुले स्थान पर दिखाई गई थी, जैसा कि अन्य बरामदगी के मामले में है। इसके बाद पीडब्लू–1 ने आरोपियों का पीछा किया लेकिन उन्हें सुरक्षित नहीं कर सका। सड़क के संबंध में पीडब्लू–। और पीडब्लू–2 के बयान अलग–अलग हैं।

6. पीडब्लू–1 और पीडब्लू–2 ने एक ऑटो रोका और मृतक को रमेश के साथ उसमें बिठाया, क्योंकि मृतक (जांच नहीं की गई) थी। संयोग से, वह न केवल पीडब्लू–1 को जानता है, बल्कि मृतक का दोस्त भी है और इस प्रकार, एक और मौका गवाह है।
7. इसके बाद, पीडब्लू–1 पुलिस स्टेशन गया और एक मौखिक शिकायत दी, जिसे वास्तव में दर्ज नहीं किया गया था। इसके बाद, पीडब्लू–1 अस्पताल आया जो जी घटना स्थल से लगभग दो किलोमीटर दूर था, जबकि एक अन्य नर्सिंग होम लगभग 50 मीटर की दूरी पर मौजूद था। जिस अस्पताल में मृतक को भर्ती कराया गया था, उसे पीडब्लू–25 द्वारा चलाया जाता था, जो कि पीडब्लू–1 को बहुत अच्छी तरह से जानता था।
8. शाम करीब 5.05 बजे पीडब्लू–25 ने मृतक को उपचार दिया। वहशाम करीब 5.45 बजे रक्तस्राव के कारण लगी कई चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई। एच केस शीट से संकेत मिलता है कि मृतक पर कथित तौर पर दो लोगों ने हमला किया थाज्ञात व्यक्ति, अर्थात् अभियुक्त। उसके लगभग 40 दिन बाद – यानी, 03.12.2001 को, पुलिस के अनुरोध पर, पीडब्लू–25 ने एक अन्य प्रमाण पत्र देने वाले को पर्याप्त सामग्री पेश की, जिससे यह संकेत मिलता है कि एक मृत्युपूर्व बयान दिया गया था।
9. इस बीच, पीडब्लू–1 दूसरी बार पुलिस स्टेशन गई और शिकायत दी, जिसे पीडब्लू–28 ने शाम करीब 6 बजे दर्ज किया। पीडब्लू–28 जांच अधिकारी है, जिसने आईटीए पूरा करके अपना काम किया और प्रमुख अपराधों के साथ धारा 302, धारा 506–बी, और धारा 120 बी आर/डब्ल्यू भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ अंतिम रिपोर्ट दायर की।
10. ट्रायल कोर्ट के समक्ष, अभियोजन पक्ष ने 28 गवाहों से पूछताछ की और प्रदर्शन पी–1 से पी–60 तक चिह्नित किया। भौतिक वस्तुओं को MO–1 से MO–17 के रूप में चिह्नित किया जाता है। बचाव पक्ष की ओर से, यह दिखाने के लिए एक डॉक्टर से जांच की गई कि लगी चोटों की प्रकृति को देखते हुए, मौत तत्काल हुई होगी। अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा दिए गए बयानों को आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद 'सीआरपीसी' के रूप में संदर्भित) की धारा 161 के कुछ हिस्सों को अदालत के समक्ष उनके बयान का खंडन करने के लिए चिह्नित किया गया है।
11. सत्र न्यायालय ने बिना किसी अपवाद के, उन गवाहों सहित सभी सामग्रियों पर गहनता से विचार किया जो मुकर गए। साजिश, घटना, वसूली और असाधारण न्यायिक स्वीकारोक्ति से संबंधित अधिकांश गवाह मुकर गए। उचित जांच के बाद अपीलकर्ताओं के पक्ष में संदेह का लाभ दिया गया।
12. राज्य ने मामले को उच्च न्यायालय के समक्ष अपील पर ले लिया। उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट द्वारा चर्चा किए गए संपूर्ण साक्ष्यों पर विचार नहीं किया। बहरहाल, इसने निम्नलिखित आधारों पर बरी करने के आदेश को उलट दिया:

- ट्रायल कोर्ट को मृत्यु पूर्व बयान की अवधारणा और इसे नियंत्रित करने वाले सिद्धांत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
- किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पीडब्लू 3, 4 और 5 की गवाही को एक साथ और एक दूसरे के साथ मिलाकर पढ़ा जाना चाहिएमकसद का.
- पीडब्लू 1, 2 और 25 की गवाही स्वीकार की जानी चाहिए थी।
- पीडब्लू–2 की गवाही और सीआरपीसी की धारा 161 के तहत बयान के बीच विरोधाभास का मतलब केवल यह होगा कि जांच अधिकारी आरोपी की ओर झुक रहा था।

- चिह्नित दस्तावेजों के साथ मेडिकल साक्ष्य स्पष्ट रूप से आरोपी के प्रति अपराध की ओर इशारा करते हैं।
- यह तथ्य कि रिकवरी मेमो पर हस्ताक्षर करने वाले पंच गवाह सहित गवाह मुकर गए, अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं होगा।

13. तदनुसार, ट्रायल कोर्ट के फैसले को उलट दिया गया और अपील कर्ताओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

<u>अपीलकर्ताओं की प्रस्तुतियाँ:</u>

14. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने कहा कि यह संभव नहीं है कि पीडब्लू-1 उस दिन मौका गवाह के रूप में उपस्थित हो सकता था। वह आरोपियों से रंजिश रखता था। उनके उदाहरण के लिए वह विभागीय कार्यवाही का सामना कर रहे थे। ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्यों पर गहनता से विचार किया है। इसमें पाया गया कि पीडब्लू-1 एक मौका गवाह नहीं हो सकता था और उसके साक्ष्य में कई विसंगतियां हैंऔर पीडब्लू-2 की गवाही. उन्होंने न तो अपने वायरलेस रेडियो का इस्तेमाल किया और न ही तुरंत शिकायत देने का कोई प्रयास किया. वह मृतक के साथ नहीं गया था, जैसा कि पीडब्लू-2 द्वारा दोहराया गया था जो कि पूर्व के विरोधाभासी है। पी-41 को पीडब्लू-25 के साक्ष्य के साथ पढ़ा गया। यह समझ से परे है कि मृतक 2 किलोमीटर दूर अस्पताल ले जाया जाएगा, जबकि मृतक की गंभीर हालत को ध्यान में रखते हुए करीब 50 मीटर दूर सड़क पर छोड़ दिया जाएगा। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि पीडब्लू-2 का ई पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 का है।उनके और पीडब्लू-1 और पीडब्लू-16 द्वारा पेश किए गए सबूतों में विरोधाभासों को देखते हुए ट्रायल कोर्ट द्वारा सबूतों पर विश्वास नहीं किया गया। पुलिस अधिकारी होने के बावजूद उन्होंने कोई शिकायत नहीं दी। ट्रायल कोर्ट ने ठीक ही कहा कि सबूतों पर भरोसा करना असुरक्षित होगा
15. दिखाई गई बरामदगी पीडब्लू-2 द्वारा पेश किए गए मामले को भी झुठलाती है- उस पर भौतिक वस्तुओं में से एक फेंककर उसपर हमला करने के प्रयास के संबंध में। अदालत के समक्ष पीडब्लू-2 द्वारा दिए गए बयान और पीडब्लू-28 द्वारा स्वीकार किए गए उसके सीआरपीसी की धारा 161 के बयान के बीच एक स्वीकृत विरोधाभास था। उच्चन्यायालय सीधे इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पीडब्लू-28 अभियुक्तों का समर्थन कर रहा था, क्योंकि वे सभी एक-दूसरे को जानने वाले पुलिस अधिकारी हैं। यहां तक कि घटना के बारे में पीडब्लू-1 औरपीडब्लू-2 द्वारा अलग-अलग बात की गई है।
16. उच्च न्यायालय को पूर्व पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। पी38- पी41. पूर्व।पी-38 अत्यधिक संदिग्ध है, तथापि, इसे एक्स द्वारा एच में सुधार किया गया है। पी-41 के बाद मृत्युपूर्व कथन की अवधारणा प्रस्तुत की गई 40 दिन, एन पुलिस के आग्रह पर कौन सा दस्तावेज़ अस्तित्व में आया जिसे स्वयं पीडब्लू-25 के साक्ष्य के माध्यम से साबित किया जा सका।
17. इस प्रकार, जब निचली अदालत, जिसे उनकी गवाही देखने का लाभ मिला था, ने अपना फैसला सुनाया, तो वह ऐसा कर सकती थी बिना किसी व्यक्तिगत गवाह के उच्च न्यायालय द्वारा एक गुप्त आदेश के माध्यम से अलग रखा गया हैपर्याप्त चर्चा. उच्च न्यायालय को तथाकथित मृत्यु पूर्व बयान के आधार पर बा के फैसले को पलटना नहीं चाहिए था।
18. वकील निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा रखकर अपने तर्क के लिए समर्थन चाहता है:

- जयम्मा और अन्य. बनाम कर्नाटक राज्य (2021) 6 एससीसी 213
- पपराम्बका रोसम्मा और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1999) 7 एससीसी 695
- सुरिंदर कुमारबनाम हरियाणा (2011) 10 एससीसी 173

- चंद्रप्पा बनामबनाम कर्नाटक राज्य सरकार (2007) 4 एससीसी 415
- राजेंद्र प्रसाद बनाम बिहार राज्य (1977) 2 एससीसी 205
- पद्मनाभन विजयकुमार बनाम केरल राज्य (1994) पूरक 2 एससीसी 156
- अमर सिंह बनाम दिल्ली एनसीटी राज्य (2020) एससीसी ऑनलाइन-एससी 826
- नारायण रेड्डी उर्फ बाबू बनाम कर्नाटक राज्य (2016) 14 एससीसी 212
- ए शंकर बनाम कर्नाटक राज्य (2011) 6 एससीसी 279
- सेल्वराज बनाम तमिलनाडु राज्य (1976) 4 एससीसी 343
- प्रदीप नारायण मडगांवकर बनाम महाराष्ट्र राज्य (1995) 4 एससीसी 255

राज्य की प्रस्तुति:

19. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने पीडब्लू 1, 2 और 25 के साक्ष्य पर सही ढंग से भरोसा किया है । पीडब्लू-25 एक स्वतंत्र गवाह है। केवल इसलिए कि पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 पुलिस अधिकारी हैं, उनके साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने अभियोजन पक्ष की ओर से अंकित दस्तावेजों पर भी विचार किया. जैसा कि प्रासंगिक सामग्रियों को वास्तव में लिया गया था एक विचार, हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, खासकर जब हम एक पुलिस अधिकारी की हत्या के मामले से निपट रहे हों।

बहस:

20. सीआरपीसी की धारा 378 राज्य को बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ अपील करने में सक्षम बनाती है। सीआरपीसी की धारा 384 उन क्तियों की बात करती है जिनका प्रयोग अपीलीय न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। जब ट्रायल कोर्ट अभियुक्त को बरी करके अपना निर्णय सुनाता है, तो अपीलीय अदालत के समक्ष निर्दोषता की धारणा को बल मिलता है। परिणामस्वरूप, दोहरी धारणा होने के कारण अभियोजन की जिम्मेदारी अधिक बोझिल हो जाती है मासूमियत का. निश्चित रूप से, प्रथम दृष्टया अदालत के पास अपना फैसला सुनाने के अपने फायदे हैं, जिसमें गवाही देते समय गवाहों को व्यक्तिगत रूप से देखना शामिल है। अपीलीय न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि वह न केवल उसके सामने मौजूद साक्ष्यों की गहन, अध्ययनित जांच में शामिल हो, बल्कि स्वयं को संतुष्ट करने के लिए बाध्य है कि क्या ट्रायल कोर्ट का निर्णय संभव और प्रशंसनीय है। जब दो दृष्टिकोण संभव हों, तो बरी किए जाने के मामले में निचली अदालत द्वारा लिए गए दृष्टिकोण का गवाहों को देखने के लाभ के साथ-साथ स्वतंत्रता डी की कसौटी पर पालन किया जाना चाहिए। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 भी आरोपी को बरी होने के बाद एक निश्चित तरीके से सहायता करता है, हालांकि पूर्ण नहीं। यह कहना पर्याप्त है कि बरी किए जाने के मामले से निपटते समय अपीलीय न्यायालय को स्वयं को आवश्यक भूमिका की याद दिलानी होगी।
21. प्रत्येक मामले की सत्य की ओर अपनी यात्रा होती है और यह न्यायालय की भूमिका है। सत्य को अपने समक्ष उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर खोजना होगा। इसमें व्यक्तिपरकता के लिए कोई जगह नहीं है और नही अपराध की प्रकृति इसके प्रदर्शन को प्रभावित करती है। हमारे पास मामलों से निपटने के लिए अदालतों का एक पदानुक्रम है। एक अपीलीय अदालत मामले की संवेदनशीलता के आधार पर ट्रायल कोर्ट से एफ विशेष तरीके से कार्य करने की उम्मीद नहीं करेगी। बल्कि इसकी सराहना की जानी चाहिए अगर कोई निचली अदालत संवेदनशीलता के बावजूद किसी मामले का फैसला अपनी योग्यता के आधार पर करती है।

22. कभी-कभी, अदालतों की अपनी बाधाएँ होती हैं। हम पाते हैं कि अलग-अलग अदालतों द्वारा अलग-अलग निर्णय लिए जा रहे हैं, अर्थात् एक तरफ ट्रायल कोर्ट और दूसरी तरफ अपीलीय अदालतें ।यदि ऐसे निर्णय संस्थागत बाधाओं के कारण लिए जाते हैं, तो वे अच्छे संकेत नहीं हैं। जिला न्यायपालिका से मूलभूत अदालत होने की उम्मीद की जाती है, और इसलिए, उसे किसी मामले को अपनी योग्यता के आधार पर तय करने की मानसिक स्वतंत्रता होनी चाहिए अन्यथा यह एक नैतिक मंच पर दोषसिद्धि प्रदान करने वाली एक रूढ़िवादी बन सकती है। सभी पर विचार करने पर किसी निर्णय पर अभियोग और निन्दाइसके सामने रखी सामग्री से बचना चाहिए। अपीलीय न्यायालय से कोई भी टिप्पणी करने से पहले कुछ हद तक सावधानी बरतने की अपेक्षा की जाती है।

23. इस अदालत ने बार-बार सीआरपीसी की धारा 378 के तहत बरी किए जाने के खिलाफ अपील पर विचार करते समय अपीलीय अदालत द्वारा जांच के दायरे पर कानून निर्धारित किया है । हम अनवर अली और अन्य के संबंध में इस अदालत के हालिया फैसले पर भरोसा करने के अलावा उपरोक्त सिद्धांत को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। बनाम हिमाचलप्रदेश राज्य, (2020) 10 एससीसी 166:

> 14.2. किसी न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्षों को कब विकृत माना जा सकता है, इसका निपटारा और विचार उपरोक्त निर्णय के पैराग्राफ 20 में किया गया है, जो इस प्रकार है: (बाबू सी मामला [बाबू बनाम केरल राज्य, (2010) 9 एससीसी 189: (2010) 3 एससीसी (सीआरआई) 1179])
>
> "20. अदालत द्वारा दर्ज तथ्य के निष्कर्षों को विकृत माना जा सकता है यदि निष्कर्ष प्रासंगिक सामग्री को अनदेखा या बाहर करके या अप्रासंगिक/अस्वीकार्य सामग्री को ध्यान में रखकर निकाले गए हैं। निष्कर्ष को विकृत भी कहा जा सकता है यदि यह "साक्ष्य के वजन के विरुद्ध" है, या यदि निष्कर्ष इतने अपमानजनक तरीके से तर्क की अवहेलना करता है कि अतार्किकता के दोष से ग्रस्त है। (राजिंदर कुमार किंद्रा बनाम दिल्ली प्रशासन देखें। [राजिंदर कुमार किंद्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, (1984)) 4- एससीसी 635: 1985 एससीसी (एल एंड एस) 131], उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारी-सह-मूल्यांकन प्राधिकरण बनाम गोपी नाथ एंड संस [उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारी-सह-मूल्यांकन प्राधिकरण बनाम गोपी नाथ एंड संस, 1992 सप्लिमेंट (2)) एससीसी 312], त्रिवेणी रबर और प्लास्टिक बनाम सीसीई [त्रिवेणी रबर और प्लास्टिक बनाम सीसीई, 1994 सप्लिमेंट (3) एससीसी 665], गया दिन बनाम हनुमान प्रसाद [गया एफ दिन बनाम हनुमान प्रसाद, (2001) 1 एससीसी 501], अरुवेलु [अरुलवेलु बनाम राज्य, (2009) 10 एससीसी 206: (2010) 1 एससीसी (सीआरआई) 288] और गामिनी बाला कोटेश्वर राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य [गामिनी बाला कोटेश्वर राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2009)) 10 एससीसी 636: (2010) 1 एससीसी (सीआरआई) 372])"

कुलदीप सिंह बनाम कॉमरेड मामले में इस न्यायालय के फैसले के बाद इसे आगे देखा गया है। पुलिस का [कुलदीप सिंह बनाम कमिश्नर। पुलिस विभाग, (1999) 2 एससीसी 10: 1999 एससीसी (एल एंड एस) 429], कि यदि कोई निर्णय बिना किसी सबूत या पूरी तरह से अविश्वसनीय सबूत के आधार पर आता है और कोई भी उचित व्यक्ति उस पर कार्रवाई नहीं करेगा, तो आदेश विकृत होगा।

लेकिन अगर रिकॉर्ड पर कुछ सबूत हैं जो स्वीकार्य हैं और जिन पर भरोसा किया जा सकता है, तो निष्कर्षों को विकृत नहीं माना जाएगा और निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।

14.3. विजय मोहन सिंह के हालिया फैसले में [विजय मोहन सिंह बनाम कर्नाटक राज्य, (2019) 5 एससीसी 436: (2019) 2 एससीसी (सीआरआई) 586], इस न्यायालय के पास फिर से धारा 378 सीआरपीसी के दायरे पर विचार करने का अवसर था। और बरी किए जाने के खिलाफ अपील में उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप [कर्नाटक राज्य बनाम विजय मोहन सिंह, 2013 एससीसी ऑनलाइन कर 10732]। इस न्यायालय ने 1952 से ही इस न्यायालय के निर्णयों पर विचार किया। पैरा 31 में, इसे निम्नानुसार देखा और रखा गया है:

> "31. इस न्यायालय के समक्ष उम्मेदभाई जादवभाई [गुजरात के उम्मेदभाई जादवभाई राज्य, (1978) । SCC 228: 1978 SCC (Cri) 108] के मामले में एक समान प्रश्न पर विचार किया गया। इस न्यायालय के समक्ष मामले में, उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया रिकॉर्ड पर मौजूद सभी साक्ष्यों की दोबारा सराहना करने पर विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी करने का आदेश पारित किया गया। हालांकि, उच्च न्यायालय ने बरी करने के फैसले को पलटते हुए, आरोपी को बरी करते समय विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए कारणों पर विचार नहीं किया। फैसले की पुष्टि करते हुए उच्च न्यायालय, इस न्यायालय ने पैरा 10 में निम्नानुसार अवलोकन किया और कहा:
>
> 10. एक बार जब बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील पर सही ढंग से विचार किया गया, तो उच्च न्यायालय स्वतंत्र रूप से पूरे साक्ष्य की फिर से सराहना करने और अपने निष्कर्ष पर आने का हकदार था। आम तौर पर, उच्च न्यायालय सत्र न्यायाधीश की राय को उचित महत्व देगा यदि वह साक्ष्य की उचित सराहना के बाद तय की गई हो। यह नियम वर्तमान मामले में लागू नहीं होगा जहां सत्र न्यायाधीश ने मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक पहलू की बिल्कुल गलत धारणा बनाई है।"
>
> 31.1. सांबासिवन में [सांबाशिवन बनाम केरल राज्य, (1998) 5 एससीसी 412: 1998 एससीसी (सीआरआई) 1320], उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा पारित बरी करने के आदेश को पलट दिया और पूरे साक्ष्य की पुनः सराहना करते हुए आरोपी को दोषी ठहराया। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने इस सवाल पर अपना निष्कर्ष दर्ज नहीं किया कि क्या सबूतों से निपटने में ट्रायल कोर्ट का दृष्टिकोण सही था?यह स्पष्ट रूप से अवैध था या इसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष पूरी तरह से अस्थिर थे। इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित बरी करने का आदेश विकृत था और कमजोरियों से ग्रस्त था, उच्च न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी ठहराए जाने के आदेश की पुष्टि करते हुए, इस न्यायालय ने इसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का आदेश. उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के आदेश बी की पुष्टि करते हुए, इस न्यायालय ने पैरा 8 में निम्नानुसार टिप्पणी की:
>
> * 8. हमने यह सुनिश्चित करने के लिए अपील के तहत फैसले का अध्ययन किया है कि क्या उच्च न्यायालय उपरोक्त सिद्धांतों के अनुरूप है। हमने पाया कि उच्च न्यायालय ने दोशी मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित तरीके से सी पर सख्ती से कार्यवाही नहीं की है [रमेश बाबूलाल दोशी बनाम गुजरात राज्य, (1996) 9 एससीसी 225: 1996 एससीसी (सीआरआई) 972] अर्थात। पहले इस प्रश्न पर अपना निष्कर्ष दर्ज करना कि क्या सबूतों से निपटने में ट्रायल कोर्ट का

दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से अवैध था या उसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष पूरी तरह से अस्थिर थे, जो अकेले बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप को उचित ठहराएगा, हालांकि उच्च न्यायालय ने प्रतिपादन किया है एक सुविचारित निर्णय, जो इसके समक्ष उठाए गए सभी विवादों को विधिवत पूरा करता है। लेकिन फिर क्या यह गैर-अनुपालन अपील के तहत फैसले को रद्द करने को उचित ठहराएगा? हम सोचते हैं, नहीं. हमारे विचार में, ऐसे मामले में, अदालत का दृष्टिकोण जो अपीलीय अदालत के फैसले की वैधता पर विचार कर रहा है, जिसने ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित बरी के आदेश को पलट दिया है, उसे खुद को संतुष्ट करना चाहिए यदि ट्रायल का दृष्टिकोण सबूतों से निपटने में अदालत स्पष्ट रूप से अवैध थी या उसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष स्पष्ट रूप से अस्थिर थे और क्या अपीलीय अदालत का निर्णय उन कमजोरियों से मुक्त था; यदि ऐसा है तो यह माना जाए कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप की आवश्यकता है। ऐसे मामले में, जाहिर तौर पर कोई कारण नहीं है कि अपीलीय अदालत के फैसले में खलल डाला जाए। लेकिन अगर दूसरी ओर अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में कोई खामी नहीं है, तो यह नहीं माना जा सकता कि बरी करने के आदेश में अपीलीय अदालत द्वारा हस्तक्षेप उचित नहीं था; तो ऐसे मामले में अपीलीय अदालत के फैसले को रद्द करना होगा क्योंकि दो उचित विचारों में से, केवल बरी करने के समर्थन में ही खड़ा होना होगा। उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमइस मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले की जांच करने के लिए आगे बढ़ेंगे।

31.2. के. रामकृष्णन उन्नीथन में [के. रामकृष्णन उन्नीथन बनाम केरल राज्य, (1999) 3 एससीसी 309: 1999 एससीसी (सीआरआई) 410], यह देखने के बाद कि हालांकि आरोपी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील की शिकायत में कुछ तथ्य है कि उच्च न्यायालय ने ऐसा नहीं किया है। बरी करने का आदेश देने के लिए ट्रायल जज द्वारा दिए गए सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसने पाया कि बरी करने के आदेश को दर्ज करने में सत्र न्यायाधीश का दृष्टिकोण सही नहीं था। उचित था और विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा कई पहलुओं पर जो निष्कर्ष निकाला गया वह टिकाऊ नहीं था। इस न्यायालय ने आगे कहा कि चूंकि सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपी को बरी करते समय प्रासंगिक/भौतिक साक्ष्य को खारिज करना उचित नहीं था, इसलिए उच्च न्यायालय ने ऐसा किया। इसलिए, सबूतों की फिर से सराहना करने और अपना निष्कर्ष दर्ज करने का पूरा अधिकार था। इस न्यायालय ने चश्मदीदों के साक्ष्यों की जांच की और राय दी कि चश्मदीदों की गवाही को खारिज करने के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए कारण बिल्कुल भी सही नहीं थे। इस न्यायालय ने यह भी देखा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा किए गए साक्ष्यों का मूल्यांकन स्पष्ट रूप से गलत था और इसलिए यह उच्च न्यायालय का कर्तव्य था कि वह विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप करे।

31.3. एटली [एटली बनाम स्टेट ऑफ यूपी, एआईआर 1955 एससी 807: 1955 सीआरआई एलजे 1653] में, पैरा 5 में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की और कहा:

+5. अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि निचली अदालत का फैसला दोषमुक्ति का है, इसलिए उच्च न्यायालय को अभियोजन पक्ष की ओर से दिए गए सबूतों की सराहना के आधार पर इसे तब तक रद्द नहीं करना चाहिए था जब तक कि वह निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाता। कि ट्रायल जज का निर्णय विकृत था। हमारी राय में, यह कहना सही नहीं है कि जब तक अपीलीय अदालत सीआरपीसी की धारा 417 के तहत अपील में इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती कि अपील के तहत बरी करने का निर्णय विकृत था, तब तक वह उस आदेश को रद्द नहीं कर सकती थी।

इस न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील पर उच्च न्यायालय पूरे साक्ष्य की समीक्षा करने और निश्चित रूप से अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए खुला है। अच्छी तरह से स्थापितनियम को ध्यान में रखते हुएट्रायल कोर्ट द्वारा पारित बरी करने के फैसले से अभियुक्त की बेगुनाही का पता नहीं चलता है, बल्कि उस व्यक्ति की निंदा का अवलोकन करने का लाभ मिला है, जिसके साक्ष्य उसके प्रेस में दर्ज किए गए हैं।

यह भी अच्छी तरह से स्थापित है कि अपील की अदालत ने भी एक अपील में साक्ष्य की सराहना फिर सेदोषसिद्धि की अपील के मामले में दोषमुक्ति, इन शर्तों के अधीन है कि आरोपी व्यक्ति ट्रायल कोर्ट में जिस बेगुनाही के साथ शुरुआत करता है, वह अपीलीय चरण तक भी जारी रहता है और अपीलीय अदालत को उसकी राय को उचित महत्व देना चाहिए।

अपीलीय अदालत सबूतों की समीक्षा करती है, इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, और एक विपरीत निष्कर्ष पर आती है, यह नहीं कहा जा सकता है कि निर्णय का उल्लंघन किया गया है। (बार में उद्धृत उन्हीं मामलों के संबंध में, जैसे, सूरजपाल सिंह बनाम राज्य [सूरजपाल सिंह बनाम राज्य, 1951 एससीसी वी ए 1952 एससी 52]; विलायत खान राज्य उत्तर प्रदेश विलायत खान बनाम राज्य उत्तर प्रदेश, 1951 एससीसी 89 % MR 1953 SC Z2 हमारी राय है, अपीलकर्ता की ओर से उठाए गए इस तर्क में कोई दम नहीं है कि उच्च न्यायालय द्वारा संपूर्ण साक्ष्यों की समीक्षा करना और अपने निर्णय पर आना उचित नहीं था।

31.4. के. गोपाल रेड्डी में [के. गोपाल रेड्डी, एसमेट ऑफ एपी (1979) 1 एससीसी 355: 1979 एससीसी (सीआरआई) 305], इस न्यायालय ने देखा है कि जहां ट्रायल कोर्ट खुद को काल्पनिक संदेह से घिरा होने देता है, मामूली कारणों से विश्वसनीय सबूतों को खारिज कर देता है और इस पर विचार करता है। जो साक्ष्य मुश्किल से ही संभव है, उसमें न्याय के हित में हस्तक्षेप करना उच्च न्यायालय का स्पष्ट कर्तव्य है। ऐसा न हो कि न्याय प्रशासन का उपहास उड़ाया जाए

<u>योग्यता के आधार पर:</u>

24. ट्रायल कोर्ट ने चश्मदीद गवाहों पर फैसला लेने से पहले अन्य गवाहों की गवाही पर विचार किया और वास्तविक गवाह अपने अंतिम निष्कर्ष के लिए विस्तृत तर्क देता है। हम पहले ही इस तथ्य को दर्ज कर चुके हैं कि अधिकांश गवाह मुकर गए। पीडब्लू-16, एक स्वतंत्र गवाह का भी कहना है कि उसने घटना नहीं देखी है कहा कि आरोपी ने उस पर कोई भौतिक वस्तु फेंककर हमला करने का प्रयास किया, यहां तक कि उच्च न्यायालय ने भी इस पर विश्वास नहीं किया। जैसा कि पुनर्प्राप्ति ज्ञापन से देखा जा सकता है, उक्त भौतिक वस्तु किसी अन्य स्थान से बरामद की गई थी, इस तथ्य के बावजूद कि यह किसी का मामला नहीं था कि आरोपियों ने पीछा करते समय उसे पुनः प्राप्त किया और अपने पास रखा।

25. पीडब्लू-7 के साक्ष्य पर विचार करने पर, एक जूते की दुकान का मालिक, इसे अस्वीकार करने के लिए अपना ठोस तर्क देता है। पिछले बिल और बी संबंधित बिल के बीच लगभग 8 महीने का अंतर था और इस गवाह ने यह नहीं देखा है कि उसकी दुकान से एम.ओ. 8 अंकित चप्पलें किसने खरीदी हैं। इसी तरह, पीडब्लू-20 जो एस टी डी बूथ चला रहा था, ट्रायल कोर्ट को आश्वस्त नहीं कर सका क्योंकि वह यह नहीं कह सका कि आरोपी ने उसके बूथ से कॉल की थी। मकसद केआधार पर, यह सही ढंग से विश्लेषण किया गया कि मृतक की हत्या के इरादे से आरोपी को फंसाने के लिए कुछ भी नहीं था।

26. पीडब्लू-1 अभियोजन पक्ष का सबसे बड़ा गवाह था। निश्चित रूप से। उसके पास उस आरोपी के ख़िलाफ़ कुल्हाड़ी थी जिसने उसके ख़िलाफ़ शिकायत दी थी। उन पर विभागीय जांच और निलंबन का सामना करना पड़ रहा था. यह बहुत अजीब है कि वह एक आकस्मिक गवाह हो सकता है। उनके साक्ष्य वॉश डी का ट्रायल कोर्ट द्वारा गहन विश्लेषण किया गया, जिसमें उनके कार्यस्थल और उनके निवास के बीच की दूरी भी शामिल थी। उन्होंने अपने वायरलेस का उपयोग नहीं किया जो चालू नहीं था और पहली बार मौखिक शिकायत देनेके लिए पुलिस स्टेशन गए लेकिन इसे दर्ज नहीं किया गया।पीडब्लू-25 को वह जानता था और यह आश्चर्य की बात है कि मृतक ई को तुरंत नर्सिंग होम में ले जाकर बचाने का कोई प्रयास क्यों नहीं किया गया, जो सामान्य मानवीय आचरण के रूप में 50 मीटर दूर था। पीडब्लू-। और पीडब्लू-2 के बयानों में कई विरोधाभास हैं. हम इस बात से भी आश्चर्यचकित हैं कि एक अन्य मौका गवाह रमेश, जो एक बार फिर मृतक के परिवार का परिचित व्यक्ति था, उस स्थान पर कैसे आया। हालाँकि पीडब्लू-1 ने उसके खिलाफ शिकायत से इनकार किया, लेकिन उसने स्वीकार किया कि वह निलंबित था। पीडब्लू-2 की तुलना में पीडब्लू-1 पर मृतक का कोई खून का धब्बा नहीं था और उसका मिलान भी नहीं किया गया था। हम उपरोक्त बातों को केवल उदाहरण के तौर पर नोट कर रहे हैं। ट्रायल कोर्ट ने पीडब्लू-1 के साक्ष्यों पर अविश्वास करते हुए जो कुछ हमने दर्ज किया है उससे कहीं आगे निकल गया।
27. पीडब्लू-1 के साथ पीडब्लू-2 भी देखा गया. वह एक और चश्मदीद गवाह था. वह एक ड्यूटी कांस्टेबल था. ट्रायल कोर्ट ने उनकी उपस्थिति पर भी संदेह किया। एक बार फिर इस गवाह ने भी कोई शिकायत नहीं दी है. हम एक पुलिस अधिकारी के बयान से निपट रहे हैं, जिससे अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कर्तव्य को जानता हो।जबकि पीडब्लू-2 ने कोई शिकायत नहीं की बल्कि अपना कर्तव्य निभाया, पीडब्लू-1 उसके बाद अपनी ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हुआ या उस पुलिस स्टेशन को सूचित नहीं किया जिसमें वह तैनात था। हालाँकि, PW–2 के पास है
28. पीडब्लू–25 वह डॉक्टर है जो पीडब्लू–1 को अच्छी तरह से जानता है। जबकि बा पीडब्लू–1 ने गवाही दी कि वह वास्तव में मृतक के साथ नहीं गया था, पीडब्लू–25 ने बयान दिया कि पुलिस और जनता दोनों ने मृतक को स्वीकार किया। इस गवाह ने स्वीकार किया कि पूर्व प्रदर्शन। पी–41 ने उल्लेख किया कि मृतक को पीडब्लू–1 और रमेश द्वारा लाया गया था। हम नोट कर सकते हैं.पीडब्लू–1 और पीडब्लू–2 दोनों ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने यह भी कहा था कि उन्हें नहीं पता कि पूर्व की सामग्री क्या है। पी–41 सही है या नहीं। उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया कि वह पीडब्लू–1 और उसके परिवार को अच्छी तरह से जानते थे।
29. पीडब्लू–25 के साक्ष्यों को पढ़ने पर हमें इसमें मृत्युपूर्व कथन का कोई अस्तित्व नहीं मिला। उन्होंने गवाही दी थी कि उन्हें याद नहीं है कि मृतक ने उन्हें बताया था कि आरोपियों ने उस पर हमला किया था और चोटें पहुंचाई थीं। यह उनकी आगे की गवाही है कि उन्होंने एक्स दिया था। पी–41 पुलिस की दृढ़ता के कारणयाद नहीं कि पुलिसआरोपी का नाम बताने को कहापी–41 के तहत.
30. हमने पीडब्लू–25 द्वारा रखी गई केस शीट, एक्ज़िबिट पी–38 का भी अवलोकन किया है। प्रदर्शनी पी–38 में हालांकि आरोपी के बारे में जिक्र है, लेकिन इसमें मृतक द्वारा आरोपी के बारे में दिए गए किसी भी बयान के बारे में बात नहीं की गई है। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि पीडब्लू–25 ने कहा था कि उसने मृतक का बयान दर्ज नहीं किया था और संबंधित समय पर कई पुलिसकर्मी और आम जनता मौजूद थी, जो फिर से लगाए गए मामले के विपरीत एक बयान है। अभियोग पक्ष। इस प्रकार, हम पीडब्लू–25 के पी साक्ष्य को स्वीकार न करने के ट्रायल कोर्ट के तर्क से सहमत हैं।

31. बचाव पक्ष ने एक गवाह से भी पूछताछ की। यह साक्षी एक सरकारी डॉक्टर है जो सर्जरी के क्षेत्र में विशेषज्ञ है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि चोट लगने के बाद मृतक के लिए होश में रहना असंभव होगा, जैसा कि एक्ज़िबिट पी–38 में बताया गया है, यानी कि आंतें बाहर आ रही हैं। ट्रायल कोर्ट ने इस सबूत पर सही ढंग से विचार किया।

32. अब हम उच्च न्यायालय के तर्क पर आ सकते हैं। हमारा मानना है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा लिखे गए फैसले पर हाई कोर्ट की ओर से इतनी कड़ी टिप्पणी करना अनावश्यक है। जब पीडब्लू 1, 2 और 25 के साक्ष्य ट्रायल कोर्ट द्वारा स्वीकार नहीं किए गए, तो ऐसा नहीं हो सकताऔर उसने सुना कि मृतक अस्पताल ले जाने से पहले ही मर चुका था। ट्रायल कोर्ट ने एक-एक करके सभी गवाहों के साक्ष्यों पर विचार करने में भारी कष्ट उठाया।अस्तित्व में एक डीविंग घोषणा। अभियोजन पक्ष द्वारा उक्त तीन गवाहों के मुंह से मृत्यु पूर्व बयान दिया गया था। जैसा कि हमने पाया, कि उनके द्वारा दिए गए सबूत भरोसेमंद नहीं पाए गए, वास्तव में या कानून में कोई भी मृत्युपूर्व बयान नहीं हो सकता है। उच्च न्यायालय ने उस आधार पर भी विचार नहीं किया जिस पर पीडब्लू 1, 2 और 25 के साक्ष्यको स्वीकार किया जा सकता है और कैसे ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए विभिन्न कारण स्वीकार्य नहीं हैं, खासकर जब उसने अन्य गवाहों के साक्ष्य पर विचार नहीं किया। इसने केवल अनुमान पर दोषसिद्धि प्रदान की, भले ही एक अनुमान कभी भी दोषसिद्धि का आधार नहीं हो सकता जब किसी गवाह की गवाही पर ठोस तर्क पर विश्वास नहीं किया जाता है। हम नहीं जानते कि उच्च न्यायालय कैसे यह निष्कर्ष दे सकता है कि सी जांच अधिकारी गवाह द्वारा दिए गए सीआरपीसी की धारा 161 के बयान के बीच विरोधाभास के कारण आरोपी का समर्थन कर रहा था।न्यायालय के समक्ष गवाही के विरुद्ध. हम ध्यान दें कि कथित घटना लगभग शाम 5 बजे घटी बताई गई थी। भारी यातायात वाली व्यस्त सड़क पर और यहां तक कि पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 के साक्ष्य से पता चलता है कि वहां लगभग 1000 व्यक्ति थे। पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 साक्ष्यों को छोड़कर अभियोजन द्वारा कोई अन्य साक्ष्यों पर भरोसा नहीं किया गया।

33. उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में, हम यह मानने के इच्छुक हैं कि उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए तर्कसंगत निर्णय को उलटने के लिए सीआरपीसी की धारा 384 के साथ पढ़ी गई धारा 378 के तहत अनिवार्य अभ्यास नहीं किया। अत: तदनुसार अपीलें स्वीकार की जाती हैं। परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के आदेश रद्द किये जाते हैं।

अपील की अनुमति

प्रह्लादकुमार